



उत्तराखण्ड जल संस्थान

जल मूल्य / सीवर शीट / सीवर संयोजन शुल्क / जल स्तम्भ शुल्क

उपभोक्ता संख्या :	RP00JWJ01J19E330734771	बिल सं० :	2023/12/RP00JWJ01J19E330734771
मांग संख्या / संयोग संख्या :	1268A/1000	बिल दिनांक :	02-03-2024
श्री/ श्रीमती :	राजीव राठौर व संजय राठौर /	बिल अवधि :	12/2023 से 03/2024
नत्थनपुर समीप पोस्ट 10/04		देय तिथि :	29-03-2024
12/18/2004		विच्छेदन तिथि :	01-04-2024
		संयोजन की श्रेणी :	Low Head/Domestic/15 MM

बिलिंग का प्रकार: पेयजल- मासिक औसत /24000	सीवरेज-	- /-
---	---------	------

देय बिल का विस्तृत विवरण		अवशेष धनराशि का विवरण	
मद का नाम	रूपये में	मद का नाम	रूपये में
जल मूल्य	1515.00	अवशेष जल मूल्य	0.00
सीवर संयोजन/शीट शुल्क	0.00	अवशेष सीवर संयोजन/शीट शुल्क	0.00
मीटर किराया	0.00	अवशेष मीटर किराया	0.00
अन्य मांग	0.00	अवशेष अन्य मांग	0.00
डिस्आनर्ड चैक की राशि	0.00		
विलम्ब शुल्क	0.00	अवशेष मांग	0
वर्तमान मांग	1515	अस्थाई जमा(-)	47.00
छूट देय तिथि तक(-)	77.00	कुल देय तिथि तक	1391

भुगतान की स्थिति	इस बिल का भुगतान नहीं किया गया है	भुगतान धनराशि	-
शाखा का नाम	E.E Raipur	कलैक्शन सेंटर का नाम	Jogiwala

राजस्व अधीक्षक/ बिल लिपिक

अधिशाली अभियन्ता/ जलकल अभियन्ता / सहायक अभियन्ता

उत्तराखण्ड जल संस्थान

नोट :

- प्रत्येक बीजक का भुगतान देय तिथि तक अवश्य कर दें अन्यथा उत्तरांचल (उत्तर प्रदेश जल सम्भरण एवं सीवर व्यवस्था अधिनियम, 1975) अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2002 की धारा-72 (क) (ख) के अन्तर्गत बिल में दर्शायी गयी विच्छेदन तिथि अथवा उसके पश्चात बिना किसी अतिरिक्त सूचना के जल संयोजन विच्छेदित किया जा सकता है।
- न्यूनतम प्रभार पर छूट अनुमन्य नहीं होगी अर्थात 10 हजार लीटर प्रतिमाह पेयजल खपत के उपर देयक पर ही अधिकतम 30 दिन के अन्तर्गत भुगतान करने पर 10 प्रतिशत की छूट जलमूल्य धनराशि पर अनुमन्य होगी। देयक का भुगतान न करने की स्थिति में विलम्ब अवधि के लिये 1.50 प्रतिशत मासिक दर से 'विलम्ब शुल्क' लिया जायेगा।